

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०-८ डी(बजट-आबंटन 2251)-13-10/2016- 01

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के अवर सचिव,
-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार पटना।

पटना, दिनांक- 11.04.18

विषय: -वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के राजपत्रित/
अराजपत्रित स्थापना हेतु मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवार्य
-090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत कुल
₹5,08,96,000/- (पांच करोड़ आठ लाख छेयान्चे हजार रूपये) मात्र का आबंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मांग संख्या-44 'मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवार्य-090 सचिवालय(मांग सं० 44)-0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक उपबंध के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रां-ब-15/बी०एस०जी०-15/2018-354/वि० दिनांक 28.03.2018 के निहित शर्तों के आलोक में स्थापना व्यय के लिए ईकाई के सम्मुख कडिका-4 में अंकित राशि पूरे वर्ष के व्यय के लिए आबंटित की जाती है ।

क्रमांक	कूट संख्या एवं इकाई	बजट उपबंध 2018-19	पूरे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आबंटित राशि
1	2	3	4
1	0023.0101-वेतन	2,97,18,000	2,97,18,000
2	0023.0103-जीवन यापन भत्ता	29,72,000	29,72,000
3	0023.0104-मकान किराया भत्ता	44,67,000	44,67,000
4	0023.0105-परिवहन भत्ता	12,55,000	12,55,000
5	0023.0106-चिकित्सा भत्ता	4,42,000	4,42,000
6	0023.0107-अन्य भत्ता	5,000	5,000
	योग-44-2251.00.090.0023.01-वेतन	3,88,59,000	3,88,59,000
7	0023.0501-पुरस्कार	6,000	6,000
8	0023.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	10,00,000	10,00,000
9	0023.1101-यात्रा व्यय	8,00,000	8,00,000
10	0023.1301-कार्यालय व्यय	25,00,000	25,00,000
11	0023.1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	12,00,000	12,00,000
12	0023.1303-दूरभाष	2,50,000	2,50,000
13	0023.1305-विधि प्रभार	1,00,000	1,00,000
14	0023.1306-वर्दी/पौशाक	10,000	10,000
15	0023.2001-आतिथ्य व्यय	1,20,000	1,20,000
15	0023.2802-संविदा सेवार्य	60,00,000	60,00,000
16	0023.2003 प्रशिक्षण व्यय	50,000	50,000
17	0023.5101 मोटर गाड़ी -कार्यालय	1,000	1,000
	कुल योग:-	5,08,96,000	5,08,96,000

(पांच करोड़ आठ लाख छेयान्चे हजार रूपये मात्र)

W

2. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र सं 2561 दि० 17.04.98 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

3. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत "मुख्य शीर्ष 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-090 सचिवालय(मांग सं० 44)-0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग- के प्राथमिक इकाईयों- 0023.0101-वेतन, 0023.0103-जीवन यापन भत्ता, 0023.0104 मकान किराया भत्ता, 0023.0105-परिवहन भत्ता, 0023.0106-चिकित्सा भत्ता, 0023.0107-अन्य भत्ता, 0023.0501- पुरस्कार, 0023.0601-चिकित्सा प्रतिपूति, 0023.1101-यात्रा भत्ता, 0023.1301-कार्यालय व्यय, 0023.1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, 0023.1303-दूरभाष, 0023.1305-विधि प्रभार, 0023.1306-वर्दी/पोशाक, 0023.2001-आतिथ्य व्यय, 0023.2003-प्रशिक्षण व्यय, 0023.2802- संविदा सेवायें एवं 0023.5101-मोटर गाड़ी-कार्यालय, विपत्र कोड-44- 2251000900023 में विकलनीय होगा।

4- आवंटित राशि के विरुद्ध किये गये व्यय का प्रतिवेदन निकासी एवं व्यय प्राधिकारी द्वारा विगत माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।

5- आवंटित राशि का प्रत्यापण प्रतिवेदन दि० 31.03.2019 तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 2251(बजट-आबंटन 2251)-13-10/2016 01 पटना, दिनांक 11.04.18
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदा० 1जी०/8डी०/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।